



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD

(U.P. Govt. Undertaking)

14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

CIN: U40101UP1980SGC005065

पंत्राक: 244-उनिलि/रिफार्म/उत्कृष्ट खिलाड़ी नियमावली/2022

दिनांक: 26 दिसम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञाप

"आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन" में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.12.2022 को सम्पन्न 211वीं बैठक के एजेण्डा आइटम सं०-211.8 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में उ०प्र० शासन, खेलकूद अनुभाग के शासनादेश संख्या: 1809/बयालिस-2006-1/१०क्यू-४/०५, दिनांक 11.09.2006 जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतिभावान/कुशल खिलाड़ियों को प्रदेश के शासकीय/सार्वजनिक उपक्रमों में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु 02 प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण प्रदान किया गया है। को उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० की सेवाओं में एतद्वारा अंगीकृत किया जाता है।

2— उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पंत्राक: 244-उनिलि/रिफार्म/उत्कृष्ट खिलाड़ी नियमावली/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का०प्रबं० एवं प्रशा०/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र/सोनभद्र/झाँसी/कानपुर/अलीगढ़/एटा)।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), तापीय परिचालन/मानव संसाधन/वाणिज्य/ईंधन/आर०एण्ड०एम०/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद नव-परियोजना, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), पीपीएमएम/न्यू कोल ब्लॉक/प्रगति, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, टी० सी०-४६/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, एस०एल०डी०सी० परिसर (निकट मंत्री आवास), विभूति खण्ड फेज-२, गोमती नगर, लखनऊ-226010।
9. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 14.12.2022 को सम्पन्न 211वीं बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा आइटम संख्या-211.8 में लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में।
11. अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-०१/०३/०४/०५/रिफॉर्म/टा०वा०से०), उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०-०२/ौ०सं०), उ०नि०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), टी० सी०-४६/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. कट फाइल।

26/12/22
(कौशलेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता (रिफॉर्म)

सं० 136० आर भूतिक-तृतीय/भरकानि/१५
दिनांक ०७.१०.१५

संख्या-1809/वयासिस-2008-1/एक्यू4/05

प्रेषक:

श्रीकृष्ण
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

३०८४/१२३२ तारीख १२.१०.१५
प्राप्तवार्ष १००१८(१)९१७/८६६

सेवा में,

- १- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
२- समस्त अधिकारी/जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

- २- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

खेलकूद अनुभाग

लखनऊ

दिनांक: ।।। - सितम्बर, 2008

विषय-प्रवेश के प्रतिमावान/कुशल खिलाड़ियों को प्रदेश की शासकीय/सार्कजनिक उपकरणों में लोक सेवा आयोग की परिषिक के बाहर के पदों पर नियुक्त हेतु 02 प्रतिशत शैतिज आञ्जन की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय

सुपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय ब्राह्म प्रदेश के प्रतिमावान/कुशल खिलाड़ियों के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों(लोक सेवा आयोग की परिषिक के बाहर) में 02 प्रतिशत शैतिज आञ्जन प्रदेश के शहरों वाले प्रतिमावान/कुशल खिलाड़ियों के लिये किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

१- आञ्जन राज्यपाल लोक सेवाओं और पदों पर केवल सीधी भर्ती के प्रक्रम पर होगा। पदोन्नति के पदों पर नहीं होगा।

२- आञ्जन राज्यपाल प्रकृति का होगा अर्थात् किसी राज्यपाल लोक सेवा और पद पर कुशल खिलाड़ियों आञ्जन के अधीन धर्यनित खिलाड़ी जिस श्रेणी का होगा उसे उस श्रेणी के प्रति समर्योजित किया जायेगा।

३- राज्यपाल लोक सेवाओं पर पदों ने सीधी भर्ती के लिए किसी धर्यन में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पद यदि कुशल खिलाड़ी/अन्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरा जा सके तो वह पद सुपर्युक्त(सामान्य/एससी/एसटी/ओ.डी.सी.) अन्यर्थियों से भरा जायेगा व भविष्य के लिए अप्रेनीत नहीं किया जायेगा।

४- 'कुशल खिलाड़ियों' के प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु 'साम अधिकारी' का नियंत्रण कार्मिक विभाग के शासनावेश संख्या-20/५/2002-का-२/2002, दिनांक 20 जुलाई, 2002 (शासनावेश की प्रतिलिपि-सलान) में की गई व्यवस्था के अनुसार लागू होगा।

-(2)-

५- राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के लिए कुशल खिलाड़ी के संबंध में विविध सभी अहताएँ पद साक्षरता सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित पूर्ववत् अहताओं के अनुस्तुप्त रहेगी ये सभी इस शासनादेश से कोई परिवर्तन नहीं होगा।

६- यह आदेश तकाल प्रभाव से लागू होगे लेकिन जिन शिक्षितयों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किये जा चुके हैं या जिन शिक्षितयों के लिए घटन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगे। घटन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने का आशय भर्ती का आधार केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार होने की स्थिति में ऐसी परीक्षा / साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने से है। जिन पदों पर भर्ती का आधार लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हैं उनके संबंध में घटन प्रक्रिया प्रारम्भ होने का आशय लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने से है।

७- लोक सेवाओं एवं पदों का तात्पर्य छाप्रा लोक सेवा(अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आव्वाण) अधिनियम, 1994 में परिवारित "लोक सेवाओं और पदों" से है।

कुशल खिलाड़ी की परिमाण से आच्छादित होने के मानदण्ड निम्नलिखित विए गए हैं:-

क्र. सं.	तृतीय श्रेणी के समूह 'ग' के पद पर घटन ठेटु पात्रता	घटुर्थ श्रेणी के समूह 'घ' के पद पर घटन ठेटु पात्रता
१-	भारतीय सीनियर जूनियर शास्त्रीय स्तर पर घटनित होकर मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता यथा-आलियक, खिश, कप अथवा विश्व धैर्ययनशिप कामनवेल्व गोम्स, एशिएन गोम्स, पश्चिम धैर्ययनशिप आदि में भाग लिया हो और धैर्ययनशिप तथा में स्वर्ण, रजत या कौस्य पदक जीता हो। अथवा टीम खेल में टीम का सदस्य बनकर टीम ने स्वर्ण, रजत या कौस्य पदक जीता हो। अथवा,	१- भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित सीनियर / जूनियर शास्त्रीय प्रतियोगिता में अपने राज्य / संस्था की ओर से भाग लेकर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण, रजत या कौस्य पदक जीता हो अथवा टीम खेल में टीम का सदस्य हक्कर टीम ने स्वर्ण, रजत एवं कौस्य पदक जीता हो। अथवा,
२-	भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित सीनियर / जूनियर शास्त्रीय प्रतियोगिता में अपने राज्य / संस्था की ओर से भाग लेकर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण, रजत या कौस्य पदक जीता हो अथवा टीम खेल में टीम का सदस्य हक्कर टीम ने स्वर्ण, रजत या कौस्य पदक जीता हो। अथवा,	२- अपने विश्वविद्यालय की ओर से मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय प्रतियोगिता में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण, रजत या कौस्य पदक जीता हो अथवा टीम खेलों में टीम का सदस्य हक्कर टीम ने स्वर्ण, रजत या कौस्य पदक जीता हो। अथवा,

3-	<p>भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण, रजत या कौस्य पदक जीता हो अथवा टीम खेल में टीम का सदस्य रहकर टीम ने स्वर्ण, रजत या कौस्य जीता हो।</p>	3-आखिल भारतीय स्कूल खेलकूद संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपने राज्य/संस्था की ओर से भाग लेकर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण, रजत या कौस्य पदक जीता हो अथवा टीम खेलों में टीम का सदस्य रहकर टीम ने स्वर्ण, रजत या कौस्य पदक जीता हो।
----	--	---

2- प्रश्नगत बैतिज आशान 50 प्रतिशत वर्टिकल आशान की सीमान्तर्गत ही अनुमन्य किया जा सकता है।

3- अतः कृपया तदनुसार अप्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

मध्यवीय

(श्रीकृष्ण)

प्रमुख सचिव।

संख्या-1809(1) / वपालिस-2008, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नानकि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, खेल उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 3- समस्त अनुमान उत्तर प्रदेश सचिवालय।
- 4- समस्त क्षेत्रीय छाइसाधिकारी/छाइसाधिकारी उत्तर प्रदेश।
- 5- प्रमुख सचिव, सार्कजनिक स्थान को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ समस्त निगमों/निकायों/संपर्कमों को एक-एक प्रति अनुपालनार्थ उपलब्ध कराने का कट करें।
- 6- ग्राउं फाइल।

आज्ञा से

(दीपू. कौर सिंह)

संयुक्त सचिव।

(25)

रांख्या-20/5/2002-का-2/2002

प्रेषक,

राजेन्द्र भौनवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

- 1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2—समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र।
- 3—समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

लखनऊ दिनांक 20 जुलाई, 2002

विषय—कुशल खिलाड़ियों के लिए "खेलों" तथा खेल के प्रमाण-पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी का निर्धारण।

महोदय,

कार्मिक
अनुभाग-2

उत्तर प्रदेश (उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पद पर सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली, 2002 के नियम 5 (ग) में कुशल खिलाड़ियों के लिए अंक देने की व्यवस्था की गयी है। अतएव एतद्वारा प्रदेश के खेलकूद विभाग से मान्यता प्राप्त "खेल" निम्नवत् हैं :—

- 1—आर्चरी
- 2—एम्योपोर एथलेटिक्स
- 3—बास्केट बाल
- 4—बायिसंग
- 5—फुटबाल
- 6—जिम्नास्टिक
- 7—हैण्डबाल
- 8—हाकी
- 9—जूडो
- 10—राइफल
- 11—रोइंग
- 12—स्वीमिंग
- 13—टेबुल—टेनिस
- 14—बालीयाल
- 15—भारोत्तोलन
- 16—कुश्ती
- 17—तलवारयाजी
- 18—ताइवयाडो
- 19—टेनिस
- 20—वैडमिन्टन
- 21—खो—खो
- 22—कबड्डी

उक्त मान्यता खेलों के लिए ही अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, अन्तर्विश्वविधालय/कालेज/रकूल स्तर खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए

निम्नलिखित सक्षम प्राधिकारी निर्धारित किये जाते हैं:-

- | | |
|---|--|
| 1—अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता | सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन का सचिव। |
| 2—विश्वविद्यालय प्रतियोगिता | सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन अथवा राज्य एसोसिएशन के सचिव। |
| 3—विश्वविद्यालय टूर्नामेंट | सम्बन्धित विश्वविद्यालय के डीन आफ स्पोर्ट्स अथवा क्रीड़ाओं के कोई अन्य सर्व कार्यभार अधिकारी। |
| 4—राष्ट्रीय रकूल खेलकूद | राज्य के शिक्षा निदेशालय में स्कूल खेल/क्रीड़ा के सर्व कार्यभारी निदेशक अथवा अतिरिक्त संयुक्त या उप निदेशक। |
| 5—राज्य प्रतियोगिता | प्रादेशिक खेलकूद संघ के सचिव। |
| 3—उक्त मान्यता प्राप्त खेलों के अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, विश्वविद्यालय एवं स्कूल स्तर को निम्नवल स्पष्ट किया जा रहा है :- | |
| 1—अन्तर्राष्ट्रीय रत्तर | (ओलंपिक, कामनवेल्थ, ऐशियन गेम्स, एफ्री ऐशियन गेम्स में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व) विश्वकप/क्रिकेट टेस्ट मैच |
| 2—राष्ट्रीय स्तर | (उक्त प्रस्तर-1 की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को छोड़कर अन्य मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व (वरिष्ठ वर्ग में) |
| 3—राज्य स्तर | राष्ट्रीय खेल/राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (वरिष्ठ वर्ग) में प्रदेशीय टीम का प्रतिनिधित्व। |
| 4—विश्वविद्यालय | (अन्तर विश्वविद्यालय जोनल व इससे ऊपर की प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय की टीम का प्रतिनिधित्व। |
| 5—स्कूल | (राष्ट्रीय स्कूली चैम्पियनशिप में प्रदेशीय स्कूली टीम का प्रतिनिधित्व। |

4-इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि समूह "ग" भर्ती के लिए आवेदन-पत्र के साथ "लंशन खिलाड़ी" के जो प्रमाण-पत्र संलग्न किए जायेंगे वह प्रमाण-पत्र ऊपर प्रस्तर-2 में अकिता "राक्षस प्राधिकारी" के स्तर से ही जारी किए जान पर ही दैघ भाने जायेंगे और उन्हीं प्रमाण-पत्रों ने राबन्धित को लाभ अनुभव्य होंगा।

कृपया तदनुसार कायदाही करने का कष्ट करें तथा अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्त प्राधिकारीगण को सूचित करने हा कष्ट करें।

आज्ञा से
राजेन्द्र भौनवाल,
प्रमुख सचिव ।